प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) [illegible]

पीठासीन अधिकारी :– [illegible] R.A.S.

उनवान

[illegible] बनाम [illegible]

दावा बाबत् [illegible]

मुकदमा नंबर :– 310/2018

निर्णय दिनांक :– 7-5-18

वादी की ओर से [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को ....(नाम पीठासीन अधिकारी).........उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

[illegible]

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-5-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प ...... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
वाद सं0 310/16
निर्णय दिनांक : 15.08.2018

1. कल्याणमल कुमावत पुत्र स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत नि0 मुकाम पोस्ट बोबास वाया फुलेरा तह0 सांभर जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. सूजाराम पुत्र स्व0 पांचूराम
2. हनुमान पुत्र स्व0 पांचूराम
3. मंगला उर्फ मंगलचन्द पुत्र स्व0 पांचूराम
4. भैरू उर्फ लालाराम पुत्र स्व0 पांचूराम
5. गुल्लाराम पुत्र स्व0 नोलाराम फौत जरिये कायम मुकामान
   - 5/1 रामेश्वर पुत्र स्व0 गुल्ला
   - 5/2 घासीराम पुत्र स्व0 गुल्ला
   - 5/3 बरजीदेवी पुत्री स्व0 गुल्ला
   - 5/4 गोपाली पुत्री स्व0 गुल्ला
   - 5/5 लालीदेवी पुत्री स्व0 गुल्ला

   समस्त निवासी मुकाम पोस्ट बोबास वाया फुलेरा तह0 सांभर जिला जयपुर राज0
6. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये मैनेजर मुकाम पोस्ट बोबास वाया फुलेरा तह0 सांभर जिला जयपुर राज0
7. तहसीलदार सांभरलेक जिला जयपुर
8. उप पंजीयक महोदय सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन आराजी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी कृषक है व कृषि कार्य कर अपना एवं अपने परिवारजनों का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की पुश्तैनी सम्पति आराजी कृषि भूमि खं0नं0 685/2, 514/2, 515/2, 559, 815/917, 947/513 किता 6 कुल रकबा 35 बीघा वाकै ग्राम बोबास प0ह0 बोबास वाया फुलेरा तह0 सांभर जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी की बहनों द्वारा अपने हिस्सें की सम्पूर्ण कृषि भूमि का हकत्याग दिनांक 29.01.15 को अपने भाईयो वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के हक में कर दिया गया था। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/10 व इसी तरह प्रत्येक प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 का हिस्सा 1/10 तथा प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 5/10 है जिस पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 ही 30–40 साल से निरस्त काबिज होकर काश्त कर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादी का उक्त वर्णित कृषि भूमि में हक व हिस्सा होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थी के हिस्से व हक की भूमि में किसी प्रकार की बाधा या मजाहमत उत्पन्न करें।

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 व 4 दिनांक 26.03.16 को वादी के स्वामित्व व हक व हिस्से की कृषि भूमि पर आये तथा वादी की भूमि को बेचान करने की नियत से अपने साथ लाये हुये व्यक्तियों को दिखाने लगे व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने कहा कि हमने उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं0 6 से लोन प्राप्त कर रखा है तथा लोन चुकाने के लिये उक्त कृषि भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 करना चाहते है जब प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को वादी ने समझाया कि उक्त कृषि भूमि उसके हिस्से व अधिकार की है तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने वादी से गाली की व मार कूटने व खड्डा खोदकर गाड़ने की धमकी दी तथा कहा कि उक्त भूमि पर उसका कोई हक व अधिकार नहीं है जब वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को उक्त सम्पति का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत तकासमा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने वादी को उक्त सम्पति का बाई मिट्स एण्ड बोन्डस विधिवत् तकासमा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा वादी को उक्त सम्पति से जबरन बेकब्जा करने व उक्त सम्पति को दीगर व्यक्तियों कोक बेचान करने की धमकी दी। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को कोई अधिकार नहीं है कि वह उक्त वर्णित सम्पति में वादी के निहित हिस्सें को अलग किये बिना उक्त सम्पति आराजी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण करवाये या उक्त सम्पति को किसी भी दीगर व्यक्ति संस्था आदि को बेचान करे इसलिए वादी अधिकारी है कि वह माननीय न्यायालय से उक्त सम्पति का बाई मिट्स एण्ड बोन्डस तकासमा करवाकर अपना हिस्सा अलग से कायम करवा लेवे। उक्त सम्पति वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की पुश्तैनी सम्पति है व वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 उक्त सम्पति के संयुक्त मालिक स्वामी व अधिकारी है तथा उक्त सम्पति में वादी का अविभाजित 1/10 हिस्सा व हक निहित है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 द्वारा दी गई धमकियों से वादी को पूर्ण आंशका हो गई है कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 उक्त सम्पति में वादी के निहित हक व हिस्से को अलग किये बिना उक्त सम्पति में निर्माण कार्य कर लेगे व उक्त सम्पति का बिना तकासमा कराये बिना दीगर व्यक्तियों को बेचान कर हस्तान्तरित कर देगे तथा जबरन कब्जा वादी से दीगर व्यक्तियों का करवा देगे इसलिए वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवा देवे कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 उक्त सम्पति में वादी के निहित हिस्से को अलग किये बिना किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करे न दीगर व्यक्तियों को किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरित करे ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विक्रय एवं अन्य दस्तावेज किसी प्रकार का किसी दीगर व्यक्ति के हक में निष्पादित एवं पंजीबद्व कराये तथा वादी के उक्त सम्पति में निहित अपने अविभाजित हक व हिस्से के उपयोग उपभोग में तथा आन जान में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत पैदा ना करे ऐसा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ना तो स्वंय करे ना ही किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या हित्तबद्व किसी भी दीगर व्यक्ति से करवाये। वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उक्त वाद मान्य न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3व 4 की तरफ से वकील श्री रमेश शर्मा, प्रतिवादी सं0 5 की ओर से वकील श्री रूपनारायण कुमावत, प्रतिवादी सं0 6 की तरफ से वकील श्री तेजपाल, प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र कुमार चौपड़ा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 ने जाहिर किया कि प्रतिवादी सं0 5 फौत हो चुका है जिसके कायम मुकामान का प्रा0पत्र पेश किया गया उक्त प्रा0पत्र पेश होने से अन्य पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न करने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5/1 लगा0 5/5 की ओर से वकील श्री रूपनारायण

ड अधिकारी
मर लेक

Scanned by CamScanner

कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त वादी का वाद मौके के कब्जें अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत नक्शें कुरेजात मंगवाये जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं0 2, 7, 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पक्षकारान वकीलों ने उपस्थित होकर जवाब पेश न करके उक्त वाद मौके, कब्जें रिकोर्ड तथा बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उक्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद मौके, कब्जें रिकोर्ड तथा बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विभाजन आराजी प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी खं0नं0 685/2, 514/2, 515/2, 559, 815/917, 947/513 किता 6 कुल रकबा 35 बीघा वाकै ग्राम बोबास प0ह0 बोबास वाया फुलेरा तह0 सांभर जिला जयपुर राज0 का मौके, कब्जें रिकोर्ड तथा बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर अलहदा अलहदा किया जाकर अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत नक्शे कुरेजात 2 प्रतियो में मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा को 2 प्रतियो मे नक्शे कुरेजात तैयार कर भिजवाये जाने हेतु लिखा जावे। मुताबिक प्राथमिक डिक्री परचा तैयार कर शामिल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 15.02.20.18 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

कल्याणमल बनाम सुजाराम वगै0

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 310/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गिरधारीलाल बोचल्या व हाजरी श्री राजेन्द्र चौपड़ा मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विभाजन आराजी प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी खं0नं0 606/2, 614/2, 616/2, 669, 616/917, 947/613 किता 6 कुल रकबा 35 बीघा वाके ग्राम बोबास प0स0 बोबास वाया फुलेरा तह0 सांभर जिला जयपुर राज0 का मौके, कब्जें रिकोर्ड तथा बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स के आधार पर अलहदा अलहदा किया जाकर अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत नक्शे कुरेजात 2 प्रतियो में मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है।..

..................निज .... मुबलिग.. बाबत्.......................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................................का अदा करे।

बराब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 02 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..........
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner